झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संचिका संख्या–6/टाना भगत–318/2017 दिनांक–

:: संकल्प ::

विषय– दिनांक–07.11.2017 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में टाना भगतों के भूमि का वर्ष 1956 से भुगतेय सेस की राशि 61,63,209/– (एकसठ लाख तिरसठ हजार दो सौ नौ रूपये) की माफी एवं भविष्य में टोकन के रूप में मात्र 1/–रूपये का सेस की वसूली कर रसीद निर्गत करने के संबंध में।

झारखण्ड राज्य में टाना भगत अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं। ऊराँव संत स्व0 जतरा भगत एवं तुरिया भगत द्वारा टाना भगत का गठन किया गया था। ये लोग 1914 के टाना भगत आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आंदोलन के पूर्व इनके द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजों के शासन एवं जमींदारी प्रथा के विरूद्ध किया गया था। ये लोग महात्मा गाँधी के अनुयायी हैं एवं अहिंसा में विश्वास रखते हैं। ये अभी भी खादी कुर्ता, धोती एवं गाँधी टोपी पहनते हैं। ये लोग मुख्य रूप से राँची, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, खूँटी, चतरा एवं लातेहार जिला में रहते हैं।

2. टाना भगतों को मुख्यधारा में लाने एवं इनके सर्वांगीण विकास हेतु इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को समझते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या–2121/रा., दिनांक–28.04.17 द्वारा मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में टाना भगत विकास प्राधिकार (Tana Bhagat Development Authority) का गठन किया गया है। उक्त संकल्प के अनुरूप टाना भगत विकास प्राधिकार की एक कार्यकारिणी समिति अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित की गई है। टाना भगत विकास प्राधिकार का सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत निबंधन कराया गया है। जिसका निबंधन संख्या–418, वर्ष–2017–18 है।

3. दिनांक–07.11.2017 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टाना भगतों के साथ सम्पन्न बैठक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेशित किया गया है कि पूर्व से टाना भगतों द्वारा धारित 10 एकड़ तक की भूमि के लगान मुक्त होने के अतिरिक्त टाना भगतों की भूमि का वर्ष 1956 से भुगतेय सेस की राशि मो0 61,63,209/–(एकसठ लाख तिरसठ हजार दो सौ नौ) रूपये की माफी एवं भविष्य में टोकन रूप में मात्र 1/–रू0 का सेस की वसूली कर रसीद निर्गत की जायेगी।

4. उक्त संदर्भ में मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में टाना भगत विकास प्राधिकार की दिनांक–30.11.2017 को संपन्न बैठक की कार्यवाही की कंडिका–2 में भी निदेशित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की दिनांक–07.11.2017 को संपन्न टाना भगतों के साथ बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में वर्ष 1956 से भुगतेय सेस की राशि की माफी हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव गठित कर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करेगा तथा भविष्य में टोकन रूप में मात्र 1/–रू0 सेस की वसूली करते हुए रसीद निर्गत किया जायेगा ताकि टाना भगतों की पहचान बनी रहे।

5. माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड एवं मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा दिये गये उक्त निदेश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि **"टाना भगतों द्वारा धारित 10 एकड़ तक की भूमि को लगान मुक्त करने के अतिरिक्त वर्ष 1956 से उनकी भूमि का बकाया सेस की राशि मो0 61,63,209/– (एकसठ लाख तिरसठ हजार दो सौ नौ रूपये) को माफ करते हुए भविष्य में टोकन के रूप में मात्र 1/– रू0 सेस की वसूली कर रसीद निर्गत की जायेगी, ताकि टाना भगतों की पहचान बनी रहे।"**

उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–24.01.2018, के मद सं0–20 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 6/टाना भगत–318/2017......428......राँची, दिनांक – 30-01-18

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय एवं प्रकाशन, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

E:\sankalp\TBDA .docx